अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अक्टूबर 2005 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 3 रुपये

शानदार हड़ताल – 29 सितंबर 2005

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने बधाई दी

शानदार रही देशव्यापी आम हड़ताल

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने श्रम अधिकारों पर हमलों का प्रतिरोध करने के लिए, जनविरोधी आर्थिक नीतियों को मात देने के लिए और अपनी सोलह सूत्री मांगें मनवाने के लिए 29 सितंबर की देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल शानदार रूप से सफल रही। ट्रेड यूनियनों की इस आयोजन समिति में केंद्रीय ट्रेड यूनियनें-सीटू, एटक, ए आइ सी सी टी यू, एच एम एस, टी यू सी सी, यू टी यू सी, यू टी यू सी-एल एस-और मजदूरों तथा कर्मचारियों की अखिल भारतीय एसोसिएशनें तथा फैडरेशनें शामिल हैं।

देश भर के मजदूरवर्ग ने 29 सितंबर की आम हड़ताल के आह्वान को जबर्दस्त समर्थन दिया। 1991 के बाद से,जब से देश में आइ एम एफ-विश्व बैंक द्वारा निर्देशित आर्थिक उदारीकरण की नीति चल रही है, यह दसवीं देशव्यापी हड़ताल है। संगठित तथा असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों के करीब 6 करोड़ मजदूरों तथा कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया। एन डी ए निजाम की तरह ही संप्रग सरकार द्वारा भी उसी अंधाधुंध ढंग से लागू की जा रही राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर निजीकरण तथा उदारीकरण की नव-उदारवादी आर्थिक नीति को रोकने की मांग करते हुए इस हड़ताल का आयोजन किया गया था।

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने हड़ताल के आह्वान को इतना जबर्दस्त समर्थन देने के लिए देश के मजदूर वर्ग तथा शोषित-उत्पीड़ित जनता को बधाई दी है। किसानों, खेतमजदूरों, महिलाओं, छात्रों और युवाओं आदि के बिरादराना जनसंगठनों ने प्रदर्शनों, रास्ता रोको, रेल रोको आदि के रूप में जो एकजुटता कार्रवाइयां आयोजित की हैं, उनकी ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने भारी सराहना की है। इन एकजुटता कार्रवाइयों ने इस आम हड़ताल को देश भर में जनप्रतिरोध का रूप दे दिया। ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने संप्रग सरकार से अपील की है कि वह इस जन-प्रतिरोध से सबक सीखे और अपनी आर्थिक नीतियों में दिशागत बदलाव लाए।

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने मेहनतकश अवाम का ध्यान संप्रग सरकार की हाल की कार्रवाइयों की ओर भी आकर्षित किया है।

जारी हैं श्रमविरोधी- जनविरोधी नीतियां

संप्रग सरकार ने पैट्रोल तथा डीजल की कीमतों में पांचवी बार बढ़ोतरी कर जनता पर नया बोझ डाला है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिक्योरिटी प्रेसों और सरकारी टकसालों के कारपोरेटीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है और ऐसा करते हुए उसके दिमाग में शायद उनका निजीकरण किए जाने की बात ही रही है।

निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए आधुनिकीकरण के नाम पर दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्रम कानूनों में बदलाव का राग फिर अलापा जाने लगा है और खुद प्रधानमंत्री की शह पर ऐसा किया जा रहा है।

ट्रेड यूनियनों के साथ बिना कोई विचार-विमर्श किए दो ऐसे विधेयक संसद में पेश किए गए हैं,जो मौलिक श्रम अधिकारों से संबंधित हैं। '' द लेबर लॉज (एक्जंपशन फ्राम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाइ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स) एमेंडमेंट एंड मिशलेनियश प्रोविजंस बिल 2005'' शीर्षक विधेयक मालिकान को विभिन्न रिटर्नों, रजिस्टरों, स्टेटमेंटों को पूरा करने से छूट देता है,जो मुख्यत: विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों तथा रोजगार शर्तों से संबंधित होते हैं।

''स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलेपमेंट बिल 2005'' शीर्षक विधेयक में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों में लगे मजदूरों के व्यापक तबकों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर निकालने के खतरनाक प्रावधान रखे गए हैं।

श्रम मंत्रालय ने संसद में दिए गए इस आश्वासन का उल्लंघन किया है कि एन डी ए सरकार ने ''फिक्स्ड टर्म एंप्लाइमेंट वर्कमेन'' के एक नए वर्गीकरण की इजाजत देते हुए जो अधिसूचना जारी की थी,उसे निरस्त किया जाएगा।

वर्ष 2001 को आधार वर्ष बनाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक नयी श्रृंखला जारी करने की कोशिश की जा रही है,जबकि इस सिलसिले में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने जो सर्वसम्मत चिंताएं जाहिर की थीं, उन्हें अभी तक संबोधित नहीं किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाने को लेकर विभिन्न हलकों से विधेयक के अनेक मसौदे वितरित किए जा रहे हैं, जबकि ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश किए गए प्रमुख सुझावों पर कोई गौर ही नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग गठित करने की मांग को सीधे-सीधे ठुकरा दिया है।

वित्त मंत्रालय हर तरह की बचतों, प्रोविडेंट फंडों, विभिन्न तरह की छोटी बचत योजनाओं, बीमे के दावों आदि को कर के दायरे में लाने के ई ई ई मॉडल को अपनाने की अपनी योजना के साथ तैयार है। इससे सभी मजदूरों और छोटी बचत करनेवाले लोगों की व्यापक तादाद पर और ज्यादा वित्तीय बोझ लाद दिए जाएंगे।

जहां वित्त मंत्रालय पी एफ आर डी ए विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी कर रहा है, वहीं अंतरिम पी एफ आर डी ए नयी पेंशन प्रणाली को शुरू करने के लिए तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।

ये सभी ऐसे मुद्दे हैं, जिनको लेकर मजदूर वर्ग को निरंतर सतर्क और दीर्घावधि संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं कि अगर सरकार अपना रास्ता नहीं बदलती है और अपनी जनविरोधी तथा मजदूरवर्गविरोधी नीतियों को लागू करने पर कायम रहती है तो भविष्य के संघर्षों के लिए जज्बा बनाए रखे और तैयारी पूरी रखे।

जबर्दस्त रही भागीदारी

बहरहाल, इस हड़ताल में बी एम एस तथा इंटक से संबद्ध अनेक यूनियनों और उनके अनुयायियों ने भी भारी तादाद में भाग लिया। बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र और अनेक निजी क्षेत्र की इकाईयों, दोनों ने ही हड़ताल में भाग लिया। यहां इंटक तथा बी एम एस दोनों ही यूनियनों ने हड़ताल में भाग लिया। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि0 गाजियाबाद में बी एम एस की यूनियन ने दूसरी यूनियनों के साथ हड़ताल में भाग लिया।

देश भर में कोयला खदानों में इंटक तथा बी एम एस की यूनियनों के अधिकतर मजदूरों ने भी हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया।

बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्रों में भी इंटक तथा बी एम एस की यूनियनों के अनुयायियों ने हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया।

इस तरह उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वीकरण की नीतियों और मजदूरों के अधिकारों पर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग की इस दसवीं देशव्यापी हड़ताल में एकदम निचले स्तर पर कहीं ज्यादा व्यापक एकता सामने आयी।

29 सितंबर की आम हड़ताल पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा तथा असम में पूर्ण बंद में तब्दील हो गयी। हरियाणा, उड़ीसा तथा झारखंड में भी अपनी संबद्धताओं से ऊपर उठ कर मजदूरों की जबर्दस्त भागीदारी और समाज के दूसरे तबकों से मिले भारी समर्थन के चलते बंद जैसी ही स्थिति थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रोडवेज मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल रखी, जिसके चलते सामान्य परिवहन ठप्प हो गया। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में 50 फीसद से ज्यादा बसें सड़क पर नहीं आयीं।

गुड़गांव में,जहां गत जुलाई महीने में ही होंडा कंपनी के मजदूरों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ था,संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के 85 फीसद से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर रहे। वे हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे और लाठियों और गिरफ्तारियों का बहादुरी से मुकाबला किया।

अनेक राज्यों से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें आयी हैं। तमिलनाडु में 25,000 और उड़ीसा में 10,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उधर असम ,झारखंड तथा राजस्थान से भी भारी तादाद में गिरफ्तारियों की खबरें आयी हैं। पुलिस ने जयपुर, कानपुर आदि जगहों पर मजदूरों को अपनी बर्बरता का निशाना बनाया। उत्तरांचल में स्कूल तथा कालेज बंद रहे।

देश भर में अनेकानेक केंद्रों पर प्रदर्शनकारियों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किए और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दिए।

देश के तमाम 124 हवाई अड्डों पर हवाई अड्डों तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल में जबर्दस्त भागीदारी के चलते हवाई आवागमन पूरी तरह ठप्प रहा। यह एक तरह से संप्रग सरकार को चेतावनी थी, जो मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों को अपने पसंदीदा निजी खिलाड़ियों के हवाले की कोशिश में लगी हुई है।

देश भर के केंद्र तथा राज्य सरकारों के तकरीबन एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों के भारी बहुमत ने कुछेक राज्यों को छोड़कर अब तक की सबसे बड़ी देशव्यापी हड़ताल कार्रवाई को अंजाम दिया। टेलीकॉम, डाक विभाग, ए जी कार्यालय, इन्कम टैक्स तथा ऑडिट कार्यालयों आदि के केंद्र सरकार कर्मचारियों के भारी बहुमत ने देशभर में धमकियों और अन्य प्रतिबंधात्मक कोशिशों का सामना करते हुए हड़ताल में भाग लिया। देश भर की करीब 94 आर्डिनेंस फैक्टरियों तथा डिपुओं में काम करनेवाले प्रतिरक्षा क्षेत्र के 80 फीसद से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर उन्होंने हड़ताल की थी।

अन्य क्षेत्रों में ऐसी रही हड़ताल

कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति इस प्रकार रही:

0 संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र,जिसके तहत बैंक तथा बीमा कंपनियां आती हैं और जहां करीब 20 लाख मजदूर तथा कर्मचारी काम करते हैं,में देशभर में पूर्ण हड़ताल रही

0 देशभर की सभी नौ कोयला कंपनियों में काम करनेवाले करीब छ: लाख कोयला खदान मजदूरों में से 70 फीसद से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। इसके अलावा गैरकोयला खदान पट्टी ,जो कि झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, में भी करीब पूर्ण हड़ताल रही।

0 बंगलौर, हैदराबाद तथा विशाखापत्तनम-जोकि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के गढ़ हैं, में सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाइयों में जबर्दस्त हड़ताल रही।

0 देश भर के बागान क्षेत्र में तकरीबन पूर्ण हड़ताल रही। चीनी तथा सीमेंट उद्योगों में भी व्यापक हड़ताल रही।

0 ईंट भट्ठा मजदूरों ,पल्लेदारों, हम्मालों आदि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने भारी तादाद में हड़ताल में भाग लिया और देश भर में विभिन्न केंद्रों पर रेल रोको तथा रास्ता रोको कार्रवाइयों का आयोजन किया।

0 संगठित तथा असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों के निर्माण मजदूरों ने जबर्दस्त ढंग से हड़ताल के आह्वान को समर्थन दिया।

0 हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू-कश्मीर में तमाम पनबिजली परियोजनाओं के मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल रखी।

0 देश भर की आंगनवाड़ी मजदूरों ने भी जबर्दस्त ढंग से हड़ताल में भाग लिया।

0 सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के परिवहन मजदूरों ने शानदार ढंग से हड़ताल के आह्वान का पालन किया।

0 कोलकाता, हल्दिया, कोच्ची, कांडला, पारदीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम तथा जे एन पी टी (मुंबई) आदि बंदगाहों और गोदियों में शानदार हड़ताल रही, वहीं दूसरी बंदरगाहों तथा गोदियों में आंशिक हड़ताल रही।

0 तेल क्षेत्र के मजदूरों ने भी जोरदार ढ़ंग से हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा हरियाणा और दक्षिणी तथा उत्तरी राज्यों में स्थित तेल संस्थानों तथा रिफाइनरियों में जहां हड़ताल पूर्ण रही, वहीं दूसरे क्षेत्रों में यह हड़ताल आंशिक रही।

0 इस्पात क्षेत्र में जहां दुर्गापुर तथा बर्नपुर में हड़ताल पूर्ण रही, वहीं सलेम तथा कुछ अन्य स्थानों पर आंशिक हड़ताल रही।

0 अधिकतर राज्यों में बिजली मजदूरों ने जोरदार ढंग से हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ क्षेत्रों में बिजली मजदूर हड़ताल पर रहे तो कुछ अन्य क्षेत्रों में उन्होंने दिन भर धरने आयोजित किए। सभी संबद्धताओं के मजदूरों ने इन कार्रवाइयों में भाग लिया।

अनेक क्षेत्रों में हड़ताल के समर्थन में एकजुटता कार्रवाइयां भी की गयीं।

□

बी एस एन एल महिला कर्मचारियों के लिए ट्रेड यूनियन क्लास

बी एस एन एल कर्मचारी यूनियन, केरल की महिला यूनियन के लिए एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन क्लास का आयोजन 24 जुलाई, 2005 को अलपुज़ा में किया गया। राज्य के टेलीकॉम जिलों से लगभग 50 महिलाओं ने क्लास में भाग लिया। केरल की महिला कमेटी की संयोजिका (कन्वेनर) लीलाम्मा ने क्लास की अध्यक्षता की तथा सर्कल सेक्रेटरी (सचिव) आर एन पाडा नैयर ने स्वागत किया।

कामकाजी महिलाओं (सी आई टी यू) की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव के हेमलता ने क्लास का उद्घाटन करते हुए यूनियन को महिला कर्मचारियों के लिए अलग ट्रेड यूनियन क्लास का गठन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने भागीदारों को न केवल तत्कालिक आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष बल्कि यूनाइटेड यूनियनों के सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षों में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना आवश्यक है। सीटू की केरल राज्य कमेटी के सचिव के ओ हबीब ने 'कामकाजी महिला—एक स्तरीय विभाजन' विषय पर क्लास ली। बी एस एन एल कर्मचारी यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव वी ए एन नम्बुदिरी ने 'संगठनात्मक नियमों' पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा प्रोफेसर एम एम नारायण ने 'वर्तमान की भूमण्डलीय स्थिति में धर्म तथा धार्मिकता के कट्टरवादिता' पर विचार पेश किए। बी एस एन एल कर्मचारी यूनियन द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाने वाली यह प्रथम ट्रेड यूनियन क्लास थी तथा क्लास के भागीदार क्लास से बहुत उत्साहित थे। यूनियन ने भविष्य में भी ऐसी क्लासों के आयोजन का निर्णय लिया।

29 सितम्बर को होने वाली अखिल भारतीय जनरल हड़ताल के लिए भागीदार आंदोलन करेंगे तथा इसे सफल बनाएगें। बी एस एन एल ई यू अलापूजा जिला सचिव मनीकांतन ने धन्यवाद प्रस्तावित किया।

□

संयुक्त संघर्ष समिति की कार्यशाला

जब कभी भी आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास पहुँचे उन्हें जवाब मिलता है कि उनके वेतन वृद्धि पर व्यय के लिए हजारों करोड़ों रुपयों को फंड सरकार के पास नहीं है। वे पूछते हैं, "धन कहाँ है?" आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर्स की दयनीय दशा से सहानुभूति रखने वाले इस बात को सरकार के समक्ष लेकर गए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष ने सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, एच एम एस, एच एम के पी तथा एन एफ टी यू से संबंधित आंगनवाड़ी फैडरेशन की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त, 2005 को बी टी रणदिवे भवन, नई दिल्ली में 'आई सी डी एस के नियमितिकरण' पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेकर कहा कि यह प्रश्न लाखों के फंड का नहीं अपितु आई सी डी एस के नियमितिकरण को रोकने की लाखों राजनैतिक इच्छाओं का है। एस एस एस के विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संगठनों, अर्थशास्त्रियों तथा बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत एन जी ओ ने कार्यशाला में भाग लिया। महासचिव हेमलता, कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु तथा आंगनवाड़ी फैडरेशन की सचिव हरगोविंद कौर न सीटू से संबंधित यूनियनों का प्रतिनिधित्व किया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुधा सुंदरमन ने कार्यशाला में भाग लिया।

हेमलता ने कार्यशाला में आई सी डी एस की भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का सफल कार्यक्रम आई सी डी एस अपने 30 वर्ष 2 अक्टूबर, 2005 को पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि आई सी डी एस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक भाग बने काफी समय हो गया। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों से दिन के समय देखभाल केन्द्र तथा शिशु पालना गृह में बदला जाए तथा। इन केन्द्रों को पूरे दिन चलाया जाए। तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेड 3 तथा ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बच्चे का 40 प्रतिशत शारीरिक विकास तथा 80 प्रतिशत मानसिक विकास उसके प्रारंभिक 6 वर्षों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में होता है तथा भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के प्रयत्नों के लिए आई सी डी एस का नियमितिकरण आवश्यक है। महासचिव डा० हेमलता ने सुप्रीम कोर्ट के कानून की तरफ सबका ध्यान खींचकर कि आंगनवाड़ी केन्द्र देश के सभी भागों में होने चाहिए। हेमलता ने अधिकतर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी विभाग प्रारम्भ करने की आलोचना की। उन्होंने इसे कार्य का दोहरापन बताया।

सीटू के सचिव तपन सेन ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कामकाजी लोगों के विरूद्ध सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों के आंदोलनों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने आइ सी डी एस में बेहतर पोषण तथा इसके लाभार्थियों की दूसरी मांगों के संघर्ष के लिए यूनियनों से अपील की।

सुधा सुंदरमन ने कहा कि कभी-कभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा आई सी डी एस की लाभार्थी स्थानीय क्षेत्रों की महिलाओं के बीच एक सीधा रिश्ता प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि यूनियन को महिलाओं की कठिनाइयों को समझकर सहायता करनी चाहिए ताकि वे एकजुट होकर संघर्ष कर सके। हरगोविंद कौर ने बहुत से उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार कुछ राज्यों में बहुत वर्षों से पूरक भोजन नहीं पहुँच रहा था। तथा किस प्रकार अफसरों के ठेकेदारों द्वारा बच्चों के लिए खराब भोजन पहुँच रहा था। उन्होंने बताया कि पंजाब में यूनियन ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में खराब भोजन पहुँचाने के विरूद्ध संघर्ष किया तथा दो आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इसके लिए उनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। यूनियन ने इसके लिए संघर्ष किया। वर्तमान में महिलाएं अपने पदों पर कार्यरत हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अच्छा भोजन पहुँच रहा है।

जयति घोष ने कहा कि आंगनवाड़ी यूनियनों की नियमितिकरण की मांग जायज है तथा भविष्य के मानव संसाधन, बच्चों के विकास में आई सी डी एस की भूमिका पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इस पर व्यय बहुत कम होगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की सरकारें प्री स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षा पर उनके जी डी पी का लगभग 3 प्रतिशत व्यय करती है तथा हमारे देश में इस पर केवल 0.2 प्रतिशत व्यय होता है। आई सी डी एस के नियमित होने पर भी जी डी पी का लगभग 1 प्रतिशत ही व्यय होगा।

कार्यशाला में एकमत होकर आई सी डी एस के नियमितिकरण की मांग के साथ 29 सितम्बर, 2005 की जनरल हड़ताल में भाग लेने तथा मानव संसाधन विकास मंत्री से मिलकर मांगपत्र (ज्ञापन) जमा कराने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला में सह संघर्षों में भागीदारी, दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय सम्मेलन (कन्वेंशन) तथा राजधानी में अगले वर्ष एक विशाल प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यशाला में ए आई टी यू सी से अमरजीत कौर ने भागीदारों का स्वागत किया तथा एच एम एस की किरन अरोड़ा ने धन्यवाद प्रस्तावित किया। □

अखिल भारतीय मांग दिवस

बहुत वर्षों से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (ए आई एफ ए डब्ल्यू एच) 10 जुलाई को 'अखिल भारतीय' मांग दिवस के रूप में मनाती आ रही है। 10 जुलाई को रविवार होने के कारण इस वर्ष इस दिवस को 11 जुलाई को देशभर में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरनों, रैलियों, तथा जुलूसों में भाग लेकर संबंधित अफसरों को मांग पत्र देकर मनाया गया।

आई सी डी एस का नियमितिकरण, सेविका के लिए 2500 रुपये प्रति माह तथा सहायिकाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह वेतन में वृद्धि उपभोक्ता कीमत सूची के अनुसार मंहगाई भत्ता, सलाना वृद्धि तथा पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा प्रोविडेन्ट फंड इस वर्ष के मांग पत्र दिवस की मुख्य मांगें थीं।

छत्तीसगढ़ :

राज्य के कोरबा राजनंद गाँव, तथा दुर्ग जिले में मांग दिवस मनाया गया। जिला कलैक्टर के कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन में 6 परियोजनाओं से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रधानमंत्री को संबोधित मांगपत्र जमा किए। राजनंद गाँव में डोगर गाँव परियोजना के 6 सेक्टरों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया उन्होंने तहसीलदार को मांग पत्र जमा कराए तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यों में पंचायतों के हस्तक्षेप न होने की मांग की। उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष के एक पत्र (जिसमें क्षेत्र में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 33 बिंदु निर्धारित किए गए थे का कड़ा विरोध किया। मांग दिवस जिले की दूसरी परियोजनाओं में भी मनाया गया। दुर्ग जिले की डौन्डी परियोजना के आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।)

राजस्थान :

सीटू सीकर जिला कार्यालय से जिला कलैक्टर कार्यालय तक जुलूस में लगभग 80 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया तथा अपनी मांगों के मांग पत्र जमा कराए। जुलूस से पूर्व हुई एक रैली संबोधन सीटू की राज्य कमेटी से सचिव हजारीलाल ने लिया।

आंध्र प्रदेश :

आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में 320 परियोजनाओं में 7 से 12 जुलाई, 2005 तक मांग दिवस मनाया गया। अवसर पर हुए धरनों, प्रदर्शनों, जुलूस आदि में लगभग 40,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। बाल विकास परियोजना ऑफिसरों को आई सी डी एस के नियमितिकरण तथा दूसरी मांगों जिनमें 'अतिरिक्त कार्य समय के आदेश' की वापसी तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए राशन कार्ड की सुविधा शामिल है, के मांग पत्र दिए गए।

पंजाब :

पंजाब में 5 से 12 जुलाई, 2005 तक 'मांग सप्ताह' मनाया गया। 90 परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अफसरों के कार्यालयों के सामने धरने दिए गए तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम मांग पत्र संबोधित किए गए। 11 जुलाई, 2005 को एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन जालंधर में किया गया जिसमें लगभग 700 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। कन्वेंशन में 25 अगस्त, 2005 को चण्डीगढ़ में 24 घंटे की भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया तथा सरकार के फैसले तक भूख हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र आदि में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मांग दिवस के कार्यक्रमों में भाग लिया।

कामकाजी महिला नेताओं का उफान

37 वर्ष की भारती 15 वर्षों से बीड़ी वर्कर है उसकी स्वर्गीय माता तथा सास भी बीड़ी बनाती थीं दो पीढ़ियों से मंगलौर के हजारों परिवारों की महिलाओं का मुख्य कार्य बीड़ी बनाना है (मंगलौर के प्रसिद्ध टाईल उद्योग के बंद होने के पश्चात्) परन्तु आज यह मुख्य कार्य अधिक उपलब्ध नहीं है। औसतन एक बीड़ी कार्यकर्ता को एक सप्ताह में अधिक से अधिक तीन दिनों के लिए ही कार्य मिलता है तथा फिर उनमें से कुछ के सामने घर कामगार, मंगलौर के अस्पतालों तथा नर्सिंग होम उद्योग में साफ सफाई का ही कार्य बचता है।

भारती के अनुसार दक्षिणी कनाडा ज़िले में वर्तमान में चार लाख बीड़ी वर्कर हैं जबकि इनकी कुल संख्या दस लाख के करीब है मंगलौर की बड़ी बीड़ी कम्पनियों जैसे गणेश, भारत, टेलीफोन, एन्वन तथा प्रकाश में से गणेश बीड़ी विदेशों में भी बेहतर जानी जाती है (जहाँ इसका 'यू एस' में आयात 1999 में बाल मजदूरी के विरोध के चलते रोक दिया गया)।

भारती भी न्यूनतम मजदूरी, प्रोविडेन्ट फंड, पास बुक मेटरनिटी तथा अन्य स्वास्थ्य लाभों आदि सहित रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। वह 20 वर्षों से जब वह आठवीं कक्षा में थी यूनियन की सदस्या है यद्यपि उसकी माता भी यूनियन की सदस्या थीं। यह छोटी सी भारती यूनियन सदस्यता के लिए बाहर जाती थी। अब वह मंगलौर में 'बीड़ी कार्यकर्ता यूनियन' की सचिव है। वह नेताओं के रूप में प्रकट होने वाली आज की महिलाओं में से एक है उसका इस रूप में प्रकट होना इस बात पर आधारित है कि बीड़ी वर्कर पूर्व प्रधान महिलाएँ हैं तथा सीटू के साथ महिलाओं को सामने लाने तथा कार्य तथा क्षमता के अनुसार वेतन के लिए उनके साथ बहुत वर्षों से संघर्षरत है। परन्तु शायद वह महिला कार्यकर्ताओं के बीच उफान का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि उनमें से कई कार्यकर्ताओं को संघर्षों तथा आंदोलनों में आगे लाने से आ रहा है।

प्रमोदिनी जो कि एक बीड़ी वर्कर तथा एक आंगनवाड़ी वर्कर दोनों हैं हमें उसकी जिंदगी को अनन्त संघर्ष बनाने वाले कुछ नोट से मिलते हैं। केंद्रीय समस्या संकट काल की है जिसका सामना बीड़ी मजदूर कर रहे हैं यद्यपि यह संकट काल इन समस्याओं से बना है कि बीड़ी बनाने वाले 2003 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के कानून का सामना कर रहे हैं यह सही है कि शायद इस कानून के नतीजे के रूप में धूम्रपान में कमी होगी यह भी सही है कि सरकार का यह कार्य तंम्बाकू के प्रयोग में बाधा होगा तथा बीड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार के लिए असरदार साबित होगी।

परन्तु यही बीड़ी मजदूरों का केन्द्रीय मुद्दा है उनके लिए यह मुद्दा बना रहता है कि बीड़ी बनाने वाले, उत्पादक तथा ठेकेदार बीड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण, कानून के पलायन जैसे सभी कार्यकर्ताओं को पासबुक उपलब्ध न कराना, कार्य वितरण के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, पुराने केंद्रों को नए क्षेत्रों में ले जाकर मजदूरों को प्रोडक्शन से दूर रखना तथा असंगठित कार्यकर्ताओं को उसी कार्य के लिए निम्न मजदूरी देना, द्वारा जारी रखते हैं। उनके लिए यह मुद्दा बना रहता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य दिवसों को बढाया जाए उनके लिए यह मुद्दा रहता है कि सरकार उनके लिए फंड जुटाने के लिए बीड़ी वर्कर, वेलफेयर फंड या उनके पूर्ण लाभों के लिए संतोषजनक कदम नहीं उठा रही है। केवल बीड़ी कार्यकर्ता भारत के घर कामगार का ऐसा भाग है जिसे बड़ी संख्या में मजदूरी कानून में मान्यता की आवश्यकता है। संसद में कार्यकर्ताओं के संघर्षों व कोशिशों के लिए ए के गोपालन के नेतृत्व में आवाज उठाई जा रही है। उनकी वर्तमान स्थिति तथा घरेलू कामगारों के अधिकारों तथा उनके लिए सुरक्षा कानूनों की मांगों की मान्यता के लिए संघर्ष केन्द्रीय महत्व रखते हैं। □

महिलाओं के लिए चूजे

पश्चिम बंगाल की सरकार ने गाँव में 'स्वयं सहायता ग्रुप' से संबंधित दस हजार महिलाओं को एक दिन में एक मिलियन चूजे बाँटे जाने का निर्णय लिया है। लाभार्थी निम्न आय वर्ग के परिवार तथा स्थानीय पंचायतों द्वारा निर्धारित होंगे। स्वयं सहायता ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को ग्रुप के आधार पर दस रहोड आइसलैंड चूजे दिए जायेंगे। औसतन प्रत्येक स्वयं सहायता ग्रुप में दस सदस्य होते हैं। इस योजना का लक्ष्य 'स्वयं सहायता समूहों' को जिले के प्रत्येक ब्लॉक में पहुँचना है इस कार्य की देख रेख राज्य के पशु संसाधन विकास विभाग के अफसरों द्वारा होगी।

कार्यक्रम के दो लक्ष्य हैं एक चूजों के बड़े होकर अंडे देने पर लाभार्थी के परिवारों को प्रति दिन अंडों का प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना तथा दूसरे महिलाओं की इच्छानुसार स्थानीय बाजार में अंडे बेचकर आय के स्रोतों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना।

इस कार्यक्रम से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे देशों से अंडे के आयात पर पश्चिम बंगाल की आश्रिता को घटाए जाने की आशा थी। स्कीम का एक मुख्य लक्ष्य है कि बाँटने के लिए चूजों के प्रकारों का चुनाव तथा लाभार्थी के घरों के पालन के लिए भोजन पर अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता न पड़ना जो कि वे इन्हें उपयोग कर बर्बाद करते थे। □

गदरपुर परियोजना कमेटी का गठन

उत्तरांचल के उधमसिंह नगर में रूद्रपुर के पास दिनेशपुर नामक एक छोटा सा गाँव है यहाँ काफी संख्या में बंगाली रहते हैं। जो कि विभाजन के पश्चात् शरणार्थियों के रूप में यहाँ फिर से बस गए थे वे बंगाली अनुसूचित जाति संप्रदाय से संबंधित हैं पश्चिम बंगाल में वे अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं तथा उन्हें अनुसूचित जातियों के सभी लाभ मिल रहे हैं।

इस गाँव तथा रूद्रपुर के और बहुत से गाँवों से संबंधित बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारी भी बंगाली हैं यहाँ पंजाबी शरणार्थी भी बसे हुए हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी बहुत सी समस्या जैसे (वेतन का भुगतान न होना, सुपरवाइजर तथा सी डी पी ओ आदि द्वारा उत्पीड़न का सामना करते हैं यहाँ पर नियमित रूप से बिना रसीद धन इकट्ठा करने वाली एक यूनियन है जो कभी-कभी लोगों को बैठकों में भाग लेने के लिए कहते हैं। ये महिलाएँ कुछ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों के लिए कार्यरत कुछ बंगाली सांस्कृतिक ग्रुप के संपर्क में आई। ये सांस्कृतिक ग्रुप पश्चिम बंगाल के पिछड़े तथा विकासशील सांस्कृतिक आंदोलनों के लिए बंद समितियों में कार्य करते हैं। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका फैडरेशन से संबंधित उत्तरांचल की यूनियन के बारे में जानकारी मिलने पर सांस्कृतिक समूह द्वारा जुलाई 2005 में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें आंगनवाड़ी फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैइत्रा, उत्तरांचल राज्य आंगनवाड़ी यूनियन की महासचिव शर्वेश्वरी खंदूरी, राज्य सीटू महासचिव वीरेन्द्र भंडारी ने भाग लिया। उन्होंने अपनी यूनियन के कार्य करने के जनवादी तरीकों, कमेटियों के चुनाव तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मुद्दों को किस प्रकार उठाने का वर्णन किया, इन महिलाओं ने एकजुट होकर बी एम एस संबंधित यूनियनों के साथ कार्य करना तथा रसीद के बिना अन्य यूनियनों से भुगतान के लिए इंकार करना प्रारम्भ किया उन्होंने सीटू से संबंधित यूनियन में शामिल होने का निर्णय लिया।)

8 सितम्बर, 2005 को गदरपुर परियोजना में आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं की एक बैठक आयोजित की गई अखिल भारती आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका फैंडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैइत्रा तथा कोषाध्यक्ष ए आर सिन्धू बैठक में उपस्थित थे। एक 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया जिसमें कमला को संयोजिका के रूप में चुना गया। उन्होंने अपनी सदस्यता बढ़ाने तथा अक्टूबर माह में परियोजना कांफ्रेंस सम्मेलन करने का निश्चय किया। उन्होंने मांगों के लिए डी सी से मिलने का भी निश्चय किया। □

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्य समय का विरोध

कांग्रेस सरकार अपने चुनाव से पूर्व किए वादों को बाद में भूल जाने के रवैये लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में चुनाव से पूर्व मुख्य मंत्री ने वादा किया कि यदि उनकी सरकार को वोट देकर सत्ता में लाया जाता है तो उनकी सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का भुगतान करेगी। परन्तु राज्य सरकार आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं को केवल 200/- रुपये तथा 100 रुपये का भुगतान कर रही है। इतनी सी कीमत पर भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर प्रति दिन दो घंटे अतिरिक्त कार्य करने के लिए दवाब डाला जा रहा है। आंध्र प्रदेश के आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इस बात की सहमति को नकार दिया तथा राज्य में सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य समय का वहिष्कार के लिए आह्वान किया। यूनियन ने अफसरों के अतिरिक्त कार्य समय के दवाब की कोशिशों के विरूद्ध राज्यव्यापी प्रदर्शन आयोजित किए। कुछ जिलों में अतिरिक्त समय न देने पर वेतन भुगतान न करने के आदेश दिए गए। हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने कई जिलों में जिला कलैक्टर के आफिस तथा परियोजना निर्देशक के आफिस पर पिकेटिंग तथा धरनों में भाग लिया।

अफसर अतिरिक्त कार्य समय के लिए दबाव न बनाने के लिए तथा सरकार को लिखने के लिए सहमत हो गए। नौकरी से गैर कानूनी रूप से हटाया जाना, अफसरों का भ्रष्टाचार वेतन का नगद भुगतान आदि जैसे मांगों को लेकर हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शनों में भाग लिया। □

ए आई एफ ए डब्ल्यू एच की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर (सेविका) तथा सहायिका फैडरेशन की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 19-20 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में हुई। 11 राज्यों के सदस्यों ने जिनमें आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तथा पश्चिम बंगाल शामिल है, ने बैठक में भाग लिया। बैठक में 29 सितम्बर, 2005 को अखिल भारतीय आम हड़ताल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भागीदारी पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारी भारी संख्या में पूरे देश से हड़ताल में भाग लेंगे। मजदूर यूनियनों तथा औद्योगिक फैडरेशनों की स्पोंसरिंग कमेटी द्वारा 16 मुख्य मांगों के साथ आई सी डी एस की मांग रखते समय वर्किंग कमेटी ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का हड़ताल में भागीदारी के लिए आह्वान किया। यह आह्वान हड़ताल के दिन स्थानीय तथा जिला स्तर पर प्रदर्शनों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भागीदारी के लिए था। फैडरेशनों ने कुछ राज्यों (पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश) में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल से पूर्व की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए (जो आई सी एस के अंतर्गत आंगनवाड़ी कर्मचारी करते हैं) नर्सरी केन्द्रों को खोले जाने की कड़ी निंदा की।

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की अध्यक्षा को धमकाने पर कार्यकारिणी बैठक ने पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी राज्य यूनिटों से इसकी निंदा करते हुए तथा सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल से पूर्व की शिक्षा उपलब्ध कराए जाने को रोकने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को टेलीग्राम भेजने का आह्वान किया। उन्होंने मांग की कि जहाँ भी आवश्यकता हो आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोला जाना चाहिए ताकि काफी संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

कर्नाटक से यमुना ने 'कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी नौकराना संघ' द्वारा बंगलौर में 8 से 11 नवम्बर, 2005 की अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर्स फैडरेशन का पाँचवां अखिल भारतीय अधिवेशन (कान्फ्रेंस) की तैयारियों के बारे में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर्स फैडरेशन के इस अधिवेशन (कान्फ्रेंस) को बंगलौर में करने के निर्णय से राज्य के आंगनवाड़ी कर्मचारियों में बहुत खुशी तथा जोश की लहर फैल गयी है तथा राज्य यूनियन के आह्वान पर फंड भी बहुत इकट्ठा हुआ है। वहाँ अधिकतर जिलों में परियोजना स्तर पर आम बैठकें होती हैं। 9 सितम्बर, 2005 को (आई सी डी एस के नियमितिकरण) पर एक सेमिनार होगा। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका फैडरेशन से संबंधित विभिन्न यूनियनों के महत्वपूर्ण संघर्षों तथा अनुभवों पर एक किताब रीलिज़ करने का निर्णय लिया गया है तथा कांफ्रेंस के पहले दिन एक रैली आयोजित की जाएगी जिसमें लगभग 25,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भाग लेने की आशा है। अधिकतर राज्यों में जिला तथा परियोजना स्तर पर कान्फ्रेंस हो चुकी है तथा राज्य कांफ्रेंस की योजना बनाई जा रही है। □

त्रिपुरा

हजारों घर कामगारों ने 15 जुलाई, 2005 को राज्य श्रम मंत्री को मांग पत्र देने के लिए त्रिपुरा के राजधानी क्षेत्र अगरतला में होने वाले जुलूस में भाग लिया। यह भव्य कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं की को-ऑर्डिनेशन कमेटी तथा 'दीन मजदूर संघ' द्वारा आयोजित किया गया। राज्य श्रम मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उन पर विचार करने का वादा किया।

त्रिपुरा के घर कामगारों की मुख्य मांगें थीं :-

1. घर कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनी रूप से लागू किया जाय।
2. घर कामगारों के लिए कानूनी रूप से साप्ताहिक अवकाश लागू किया जाय।
3. सभी घर कामगारों के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
4. सभी घर कामगारों को बी पी एल कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
5. असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को प्राप्त लाभ घर कामगारों को भी दिए जाएं।
6. सभी घर कामगारों को इंश्योरेन्स सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
7. शहरों तथा देहात में सभी घर कामगारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराए जाएं।
8. बोनस दिया जाए।
9. घर कामगारों के बच्चों को मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराई जाए।
10. घर कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त समय तथा भत्ता के लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाए।

□

भोपाल में मसाला पापड़ केन्द्र की महिलाओं का संघर्ष

सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर हालात बदलने का संघर्ष

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (नवरत्न) कहलाने वाली सार्वजनिक इकाई है भूमण्डलीकरण की आंधी में इसे भी निजिकरण के नाम पर देशी-विदेशी पूंजी के हवाले करने की लगातार कोशिशें व साजिशें की जाती रही है। वामपंथी दल व इसी रूझान की ट्रेड यूनियनें इसके निजीकरण की हर साजिश का डटकर मुकाबला करता आ रहा है। यह शक्तियां जहाँ इन इकाईयों के स्वामित्व को निजी हाथों में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रही है। वही इसकी कल्याणकारी भूमिका को भी जारी रखने के लिये भी संकल्पवद्ध है यही यह समझ है जिसके चलते वेतन वृद्धि से लेकर श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिये लगातार संघर्ष चलता रहता है।

लेकिन इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबधन व केंद्र की सरकारों का सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण व प्रतिबद्धता बदल गयी है। भाजपा गठबंधन (एन डी ए) ने रणनीति विक्री की मुहिम के जरिये इसे पराकाष्ठ पर पहुंचा दिया था। इसी मुहिम के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों की कल्याणकारी भूमिका को समाप्त कर बाजारवाड़ी सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया। यह वह कारण था कि वेतन समझौते से लेकर श्रमिकों की चिकित्सा शिक्षा आवास मनोरंजन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को अनावश्यक व असहनीय करार दे, उसमें कटौतियों की गयी यही वह कारण था जिसके आधार पर वहनीयता व प्रतियोगात्मकता के नाम पर "उत्पादन व्यय" कम करने के लिए आफ लोडिंग व ठेकापद्धति से काम व स्थायी श्रमिकों की संख्या में कटौती व नयी भर्ती पर रोक को आगे बढ़ाया गया। इसी की पराकाष्ठा के रूप में बी एच ई एल भोपाल में दिवंगत भेल कर्मियों की विधवाओं के नाम पर चलाये जा रहे मसाला पापड़ केन्द्रों के वर्तमान हालात है।

तमाम सार्वजनिक उद्योगों केन्द्र व राज्य सरकारों ने अपने दिवंगत कर्मचारियों के एक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया है। लेकिन ऐसी विधवाओं के लिये मसाला पापड़ केंद्र सीपित करते समय यह कहा गया था कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान होने या भर्ती के समय इन परिवारों के एक आश्रित को भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था होने तक इन केन्द्रों में विधवाओं को काम दिया जायेगा। इसी प्रत्याशा में भेल कर्मियों की विधवायें 15-20 वर्षों से इन केन्द्रों में कार्यरत है। इन 20 वर्षों में इन केन्द्रों का रूप बदल गया। अब इसमें कार्यरत बहुमत विधवाओं से वह काम कराया जाता है जो भेल में स्थायी श्रमिक करते हैं। इस काम के लिये भेल लेडीज क्लब की संख्या हैल्विंग हैड के नाम पर एक वर्कशेड है जहाँ मशीनें भी लगाई गयी हैं। भेल के अधिकारियों की पत्नियों की यह संख्या बी एच ई एल से वर्क आर्डर प्राप्त कर इस वर्कशेड में काम करवाती है। कुशल-श्रमिकों जैसा काम कराकर अकुशल श्रेणी वेतन भुगतान किया जा रहा है। विगत 20 वर्षों से उनकी सुविधाओं वेतनों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गयी। उलटे काम कई गुना जरूर बढ़ा दिया सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि मांगों के सम्बन्ध में प्रबंधन यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि मामला लेडीज क्लब से सम्बन्धित है परन्तु मीडिया में यही प्रबंधन कह रहा है कि इन महिलाओं पर हम प्रति महिला 7-8 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च कर रहे हैं। इससे इस समूचे मामले की गुत्थी उलझी हुई प्रतीत होती है।

लगभग 257 महिलायें इन केंद्रों में कार्यरत है जिनमें लगभग 200 भेल कर्मियों की विधवायें हैं। कई सौ और ऐसी भेल कर्मियों की विधवाओं है जिन्हें इन वर्कशेडों में काम नहीं मिला। जो विधवायें हैं काम नहीं करती उन्हें भी नियमित मेडिकल सुविधा तथा पेंशन मिलती है। यह सुविधा इन शेड में काम करने वाली महिलाओं को भी मिलती है इस लेडीज क्लब या भेल प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है। इन केन्द्रों में काम करने वाली महिलाओं को भेल के मकान कन्वेंशन रेट पर दिये जाते हैं लेकिन यह मकान तो अन्य ठेका मजदूरों को भी कन्वेंशन रेट पर दिये जाते हैं। स्पष्ट यह कोई अतिरिक्त सुविधायें नहीं हैं इन महिलाओं से जो काम कराया जाता है उसकी एवज में तो मात्र 89 रुपये प्रति दिन की दर से प्रतिमाह 2200 रुपये से 2400 रुपये तक भुगतान होता है। इसमें भी विभिन्न कटौतियों के बाद उनके हाथ 1500 रुपये से 1800 रुपये ही आते हैं। इनकी आमदनी है लेकिन प्रबंधन इस आमदनी में मेडीकल सुविधा पेंशन मकान का कमर्सियल किराया जोड़कर कहता है कि 7-8 हजार रुपये खर्च करता है। कितना गलत है यह तरीका? क्या सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन से ऐसी "चीटिंग" की आशा की जा सकती है।

इन हालातों में यह विधवायें लेडीज क्लब व भेल प्रबंधन से पिछले 1 वर्ष से वेतन बढ़ाने तथा भेल में होने वाली सम्भावित भर्ती में एक आश्रित को नौकरी हेतु प्राथमिकता देने की मांग कर रही है। आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में नकार दिया गया। परिणामत : आक्रोसित इन विधवा महिला कर्मियों ने 2 अगस्त से टूल डाउन आंदोलन छेड़ दिया। कोई यूनियन उनका साथ देने के लिये तैयार न हुई। सभी महिलायें एकजुट होकर बी एच ई एल कामगार ट्रेड यूनियन (सीटू) के कार्यालय पहुंची। मेक्टू (सीटू) ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आंदोलन अभी भी जारी है।

भोपाल में 15 अगस्त से 19 अगस्त तक एक कार्यशाला के

(शेष पृष्ठ 11 पर)

घर कामगारों का ऐतिहासिक सम्मेलन

गणेश कला क्रीड़ा मंच ने 27 अगस्त को मध्यम स्तरीय दर्शकों द्वारा पूना में सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों द्वारा एक भिन्न जामा पहनाया गया करीब 3500 कामकाजी स्तर की महिलाएं एडवा तथा सीटू से संबंधित घर कामगार यूनियन के बैनरों द्वारा सदस्य बन रही थीं। वे महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आई थीं तथा शोलापुर, नासिक, जलना, प्रभानी, कोल्हापुर, मुम्बई, वरधा, सांगली तथा औरंगाबाद के घर कामगारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी यह भीड़ पूरा की होस्ट सिटी से आई थी जहां यूनियन ने 17000 हजार घर कामगारों को पूना सीटू कमेटी तथा एडवा यूनिट की कोशिशों से किया गया। पिछले वर्ष लगभग 35000 घर कामगार सीटू के झंडे तले एकत्र हुए तथा महाराष्ट्र में प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन ने लाखों घर कामगारों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीपीआई(एम) की पोलिट ब्यूरो सदस्या बृंदा कारात ने कामगार महिलाओं को उनका ध्यान उनकी उत्पादक मजदूरी की तरफ लाने के लिए बधाई दी, जोकि दूसरे के कार्यों में आवश्यक रूप से जरूरी है तथा वे स्वयं दरिद्रता के अंधेरे में जीवन जी रहे हैं उन्होंने कहा कि शोषक वर्ग की औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप लालच तथा बेरोजगारी के चलते महिलाओं को घर कामगार बनना पड़ता है उन्होंने पूर्व भाजपा एनडीए सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के लिए कानून लाने (जिसने घर कामगार शामिल नहीं है) पर व्यंग्य किया।

उन्होंने कहा कि सीएमपी की यूपीए ने प्रस्ताव में असंगठित क्षेत्रों के लिए कानून शामिल किया है परन्तु असल में इसके लिए कानून शामिल किया है परन्तु असल में इसके लिए संसद में आतंरिक तथा बाह्य दोनों तरफ के संघर्षों की आवश्यकता है। घर कामगारों की यूनियन बनना कामकाजी वर्ग की महिलाओं को तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं को एक दूसरे के विरुद्ध करना नहीं है। बल्कि कामकाजी महिलाए अपने अधिक कार्यभार के चलते घर कामगारों पर आश्रित है। एडवा तथा सीटू के सह प्रयत्नों द्वारा घर कामगारों के आंदोलनों को विभिन्न राज्यों से देश तक बढ़ाया गया।

पूना की सीटू कमेटी द्वारा प्रकाशित 'घर कामगार' नामक एक पुस्तक को रिलीज करते हुए सीटू सचिव तथा अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजिका के. हेमलता ने कहा कि वर्तमान समय में घर कामगार समाज का एक अति आवश्यक हिस्सा है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, या दूसरे कोई कानून प्राप्त नहीं हैं। यद्यपि यूपीए सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के लिए कानून लाने का वादा किया परन्तु अभी तक उसका नामोनिशान भी नहीं है। उन्होंने कामकाजी को उनके संघर्षों के लिए बधाई दी तथा विश्वास दिलाया कि सीटू उनके अधिकारों के लिए हमेशा उनके साथ है।

सम्मेलन की अध्यक्षता महाराष्ट्र की सीटू सचिव सुमन संझगिरी, महाराष्ट्र के सीटू अध्यक्ष प्रभाकर संझगिरी, डा. डी एल कारद, एमएलए तथा महाराष्ट्र के बीड़ी वर्कर नेता नर्सय्या आदम ने की। महाराष्ट्र एडवा की राज्य सचिव मरियम धावले तथा आंध्र प्रदेश की राज्य अध्यक्ष ज्योति ने पूना जिला घर कामगार संघटन की अध्यक्षा किरण मोघे ने मांगों का प्रस्ताव पेश किया।

नलिनी कलबुर्जी (सोलापुर), कल्पना खावले (पूना), शबीरा शेख (मुम्बई), मंगला खामगाओकर (प्रभानी), कमल टांडे (वरधा), सविता वितकारी (जलना), सैरावी शेख (औरंगाबाद), सुनीता सलुंखे (सांगली), ने उनके जिले के घर कामगारों का प्रतिनिधित्व किया, तथा उनके कार्य करने के हालात का व्याख्यान किया। सीटू के जिला सचिव सतीश छवन ने प्रतिनिधियों तथा अतिथियों का स्वागत किया। महाराष्ट्र राज्य की एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू की संयोजिका शुभा शमीम, पुणे जिला सचिव सरस्वती ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सम्मेलन में 29 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव पास किया तथा राज्य के सभी घर कामगारों का उस दिन रैलियों तथा प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए आह्वान किया।

(पृष्ठ 10 का शेष)

सिलसिले में सीटू के राष्ट्रीय सांसद दीपाकर मुखर्जी तथा कामकाजी महिला समन्वय समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजिका व सीटू राष्ट्रीय सचिव डा० हेमलता ने आंदोलनकारी महिलाओं की समस्याओं को संबोधित किया। सीटू राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० एम के पंधे से भेंट करने आये बी एच ई एल भोपाल के कार्यापालक निर्देशक से डा० पंधे ने इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा की। भेल भोपाल में संघर्षरत यह महिलायें भेल भोपाल के प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। प्रदर्शन व समस्याओं को सीटू प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद प्रधान सीटू जिला संयोजिका महासचिव पी एन शर्मा कामकाजी महिला समन्वय समिति जिला संयोजिका श्रीमती साधना कर्णिक मेक्टू कार्यवाहक अध्यक्ष वी पी यादव महासचिव हनुमंत लाल अतिरिक्त महासचिव एस आर कृष्णन उपाध्यक्ष एम व्ही बरगट ने सम्बोधित किया।

सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में ठेलने की केन्द्र सरकार की साजिशों का प्रभावी मुकाबला वामपंथ व इसी रूझान की ट्रेड यूनियन कर रही है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधनों की निजी क्षेत्र जैसे बर्ताव विशेषतः उसमें कम वेतन असुरक्षित रोजगार के प्रयासों का भी मुकाबला किया जाना जरूरी है। भेल भोपाल में मसाला पापड़ केन्द्र की विधवा महिलाकर्मियों के संघर्ष को इस नजरिये से भी देखा जाना चाहिए। अब जब एन डी ए को जनता ने परास्त कर यू पी ए सरकार सीपित कर दी है तब जनता की यह आकांक्षा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इस नजरिये को भी बदला जाने अनुचित नहीं है। □

गुड़गांव में मजदूरों पर पुलिस का बर्बर हमला

गुड़गांव स्थित बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी होंडा मोटर साइकिल एण्ड स्कूटर्स इंडिया प्रा. लि. (एच एम एस आइ) के मजदूरों पर 25 जुलाई को पुलिस द्वारा उस समय बर्बर हमला किया गया जब वे अपनी मांगों के लिए मिनी-सैक्रेटेरिएट के सामने धरना दे रहे थे। पुलिस के इस बर्बर हमले में सैकड़ों मजदूर घायल हो गए जिनमें से कुछेक की हालत गंभीर बताई जाती हैं। अनेक घायल मजदूरों तथा उनके नाते-रिश्तेदारों का कहना था कि 25 जुलाई की रात को, करीब 500 घायलों को अस्पताल में लाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस उनमें से अनेक को किन्हीं अज्ञात स्थानों के लिए उठा ले गयी थी। अस्पताल के चीफ मैडीकल आफीसर ने जो सूची मुहैया करायी, उसमें सिर्फ 29 घायल मजदूरों को भर्ती दिखाया गया था, जबकि पुलिस द्वारा मुहैया करायी गयी सूची के अनुसार सिर्फ 61 लोग गिरफ्तार किए गए थे। मजदूरों के नाते-रिश्तेदारों की विशाल संख्या यही सोच-सोचकर परेशान हो रही थी कि बाकी घायल मजदूरों का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि अपनी दरिंदगी के पूरी तरह से सामने न आने देने की कोशिश में, प्रशासन ने बाकी घायलों को अज्ञात स्थानों पर पहुंचा दिया था।

गुड़गांव में मजदूरों पर पुलिस के इस वहशी जुल्म के खिलाफ देश भर में गुस्से की जबर्दस्त लहर दौड़ गयी। इस गुस्से की अभिव्यक्ति संसद में भी हुई। वामपंथी पार्टियों, ट्रेड यूनियनों, मीडिया तथा आमतौर पर जनता के बीच उठे रोष के सामने, हरियाणा की कांग्रेसी सरकार को पूरी घटना की न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा। जांच हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। याद रहे कि शुरू में मुख्यमंत्री हुड्डा ने घोर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करते हुए, मजिस्ट्रेटी जांच पर ही मामला टालने की कोशिश की थी। बहरहाल, बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री को, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए दिल्ली बुलाना पड़ा। उधर वामपंथी पार्टियों ने 26 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहिर्गमन किया और बाद में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में भी, जोर देकर इस मुद्दे को उठाया। वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से जोर देकर कहा कि पहले दोषी अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा जाए, तभी शासन द्वारा करायी जाने वाली किसी भी जांच पर लोगों का भरोसा जमेगा। इससे पहले इसी रोज, गुड़गांव में पुलिस की दरिंदगी के खिलाफ सी पी आइ (एम) तथा सीआइटीयू की दिल्ली राज्य इकाइयों के आह्वान पर राजधानी में हरियाणा भवन पर एक जुझारू विरोध प्रदर्शन भी हुआ। विक्षुब्ध प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरीकेड तोड़ दिए और पुलिस ने जल तोपधार का भी सहारा लिया। सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो ने तथा सीआइटीयू ने हरियाणा पुलिस की बर्बरता के खिलाफ देश भर में विरोध कार्रवाइयों का आह्वान किया है।

ताजातरीन घटनाओं के बाद सामने आयी जानकारियों के अनुसार, यह कंपनी भारतीय श्रम कानूनों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करती आयी है और उसके अधिकारीगण मजदूरों को तरह-तरह से परेशान करने के हथकंडों का सहारा लेते आए हैं। मिसाल के तौर पर सुतराली गांव के लीलाधर ने, जो इस कंपनी में पिछले तीन साल से काम कर रहा है, इस संवाददाता को इस कंपनी के प्रबंधकों की मनमानियों के बारे में बताया। एक जापानी अधिकारी ने तो फैक्ट्री में महिलाओं के शौचालय में जबर्दस्ती घुसने की कोशिश की थी और मजदूरों के उसे घुसने न देने तथा दोबारा ऐसी गलती न करने की चेतावनी देने के बावजूद, उसने बार-बार अपनी इस हरकत को दुहराया। गुस्साए मजदूरों ने उसकी थोड़ी-बहुत पिटाई कर दी। लेकिन, प्रबंधन ने दोषी अधिकारी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे चार मजदूरों को खड़े-खड़े बर्खास्त कर दिया और मजदूरों को और भी तरह-तरह से परेशान किया गया। मिसाल के तौर पर एक सिख मजदूर से कहा गया कि वह काम के वक्त पगड़ी पहने नहीं रह सकता है।

इसी तरह, प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान शौचालय जाने में ज़्यादा से ज्यादा कितना समय कोई मजदूर लगा सकता है यह तय कर रखा है। यह व्यवस्था थोप दी गयी है कि अगर कोई मजदूर महीने में एक दिन भी गैर-हाजिर होता है, तो उसकी तनख्वाह में से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। यहां तक कि प्रोवीडेंट फंड में कंपनी का जो हिस्सा बनता है, वह भी मजदूरों के वेतन से ही काटा जा रहा है। और इन सभी तथा इस तरह के दूसरे अनगिनत अन्यायों को रुकवाने के लिए, जब मजदूरों ने संगठित होकर अपनी यूनियन बनानी चाही, जिसका हमारे देश के मौजूदा श्रम कानूनों के अंतर्गत मजदूरों को पूरा अधिकार है, तो होंडा कंपनी ने ज़वाबी हमला करते हुए पूरे 1,500 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया। वास्तव में कंपनी पहले ही मजदूरों को बर्खास्त करने का मौका तलाश कर रही थी और उसे लगा कि यह ऐसा करने का उपयुक्त मौका है।

इसी पृष्ठभूमि में एच एम एस आइ के मजदूरों ने होंडा कंपनी की मनमानी के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाया था। हरियाणा की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का और वामपंथी पार्टियों का समर्थन उनके संघर्ष को हासिल था। लोकसभा में सी पी आइ(एम)

पुलिस की हैवानियत का शिकार लापता भाई को ढूंढ़ती बहन भी पुलिस कहर से नहीं बच सकी

ग्रुप के नेता, वासुदेव आचार्य ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर, उनसे हस्तक्षेप करने तथा मजदूरों को दोबारा काम पर रखवाए जाने का आग्रह भी किया था। इसी प्रकार, सी पी आइ के गुरुदास दासगुप्त ने भी प्रधानमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था। बहरहाल, राज्य सरकार तथा खासतौर पर गुड़गांव के जिला प्रशासन के होंडा प्रबंधन के लठैतों की तरह काम करने से, समस्या का हल निकलने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि इस कंपनी ने आखिरकार, कुछ सौ मजदूरों के जत्थों में ज्यादातर मजदूरों को वापस काम पर लेना मंजूर भी कर लिया था, लेकिन वह इस पर अड़ी हुई थी कि उन 40 मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाएगा, जिनकी बर्खास्तगी से व्यापक आंदोलन भड़का था। प्रबंधन की इस जिद से गतिरोध पैदा हुआ था।

इसी के बाद सभी ट्रेड यूनियनों की हरियाणा राज्य इकाइयों की 18 जुलाई को हुई बैठक में ही यह फैसला लिया गया था कि 25 जुलाई को राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर मजदूरों के संयुक्त प्रदर्शन किए जाएं। इसी निर्णय के अनुसार होंडा, स्पीडोमैक्स के मजदूर गुड़गांव के कमला नेहरू पार्क में एकत्र हुए थे। मजदूरों का फैसला यह था कि उनका शांतिपूर्ण जुलूस गुड़गांव शहर से होते हुए और मैहरौली रोड के इंडस्ट्रिएल एरिया से होते हुए, मिनी सेक्रेटेरिएट जाएगा और वहां उपायुक्त को मजदूरों की मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। बहरहाल, जब मजदूरों का जुलूस मैहरौली स्थित इंडस्ट्रिअल एरिया में पहुंचा, जिला प्रशासन ने जुलूस को इंडस्ट्रिअल एरिया में जाने से रोका और जुलूस को वहीं से लौटने के आदेश दे दिए।

बाद में सीआइटीयू के जिला अध्यक्ष राजसिंह तथा एटक के नेता सुभाष दीवान के नेतृत्व में मजदूरों के पुलिस से बातचीत करने के बाद, जुलूस को आगे ले जाने की इजाजत भी मिल गयी। जुलूस यहां से आगे बढ़ा भी। लेकिन, गुड़गांव इंडस्ट्रिअल एसोसिएशन को, जिसका इसी औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य कार्यालय भी है, मजदूरों के जुलूस को इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने की इजाजत दिया जाना पसंद नहीं आया। ऐसा समझा जाता है कि इस ऐसोसिएशन के पालतू गुंडों ने ही पुलिस की गाड़ी में आग लगायी और भाग गए। पुलिस के इन शरारती तत्वों को पकड़ने की कोई कोशिश न करने से भी साफ हो जाता है कि गड़बड़ी शुरू कराने वाले ये तत्व किस के आदमी थे।

बहरहाल, मजदूरों का जुलूस मैहरौली इंडिस्ट्रिअल एरिया में से गुजरते हुए और पूरे शहर में से घूमता हुआ, आखिरकार मिनी-सेक्रेटेरियट पहुंचा। यहां पहुंचकर सभी मजदूर शांतिपूर्वक बैठ गए और ज्ञापन देने के लिए आयुक्त का इंतजार करने लगे। लेकिन, मजदूरों की मांगों का ज्ञापन लेने के बजाय, आयुक्त महोदय अभूतपूर्व रूप से बड़े पुलिस बल के साथ, मजदूरों को बर्बरता से सबक सिखाने के लिए पहुंचे। उनकी अगुआई में सैकड़ों लाठीधारी पुलिसवाले, शांतिपूर्वक बैठे मजदूरों पर टूट पड़े। जब पुलिस निहत्थे मजदूरों पर बर्बरता से लाठियां बरसा रही थी, उपायुक्त सामने खड़े होकर मजदूरों की पिटाई का तमाशा देख रहे थे।

पुलिस के इस बर्बर लाठीचार्ज में, जो पूरे देश ने टेलीविजन के जरिए अपनी आंखों से देखा, सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को गंभीर रूप से चोटें आयीं। पुलिस की लाठियों से बुरी तरह से घायल होने वालों में सीआइटीयू के जिला अध्यक्ष, राजसिंह भी शामिल हैं, जबकि सीआइटीयू के जिला सचिव श्यामचंद्र झा के पेट में लाठी की भारी चोट आयी है। इसी प्रकार एटक नेता सुभाष दीवान तथा होंडा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सुरेश गौड़ भी घायल होने वालों में हैं।

27 जुलाई को सी पी आइ (एम) के तीन सांसदों, अमिताभ नंदी, शांतश्री चैटर्जी व लक्ष्मण सेठ ने गुड़गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। (रिपोर्ट : एन एस अर्जुन)

महिलाओं की चिंताएं और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक

– सुधा सुंदररामन

संसद के हाल में ही समाप्त हुए सत्र में कई ऐसे विधेयक पारित हुए हैं, जो महिलाओं के हितों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। यह बेशक स्वागतयोग्य है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अपने गरीब हितैषी वादों पर कम से कम कुछ तो ध्यान दिया है, यह दूसरी बात है कि इसमें भी वामपंथ द्वारा निरंतर दबाव डाले जाने और जनवादी महिला समिति जैसे जनवादी जनसंगठनों के अनवरत हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी यह बहुत ही निराशाजनक है कि महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण के महत्वपूर्ण विधेयक को, एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बेशक इसमें भाजपा ने खासतौर पर शरारतपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसने सत्र के दौरान ही इस मामले पर पूरी तरह से पल्टी मारी है।

इसके अलावा यह भी गौरतलब है कि हमारे कानून द्वारा स्वीकृत अधिकार भी, आम आदमी तक तभी पहुंच पाते हैं, जब उनके पालन के लिए संघर्ष काफी प्रबल हो जाता है। इसलिए, जनतांत्रिक संगठनों के लिए अपरिहार्य है कि इन नये-नये परिभाषित अधिकारों तक जनता की पहुंच स्थापित करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्रभावी संघर्ष छेड़ें। निहित स्वार्थों के हाथों शोषण को रोकने के लिए, इन अधिकारों के व्यवहार के ठिकानों पर निगरानी तथा सार्वजनिक जवाबदेही पर जोर देना जरूरी है। इसीलिए, संसद के इस सत्र में पारित महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण विधेयकों--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का विधेयक--पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रतिक्रिया में इन विधेयकों के मुख्य सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट किया गया है और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर आह्वान छेड़े जाने का भी आह्वान किया गया है।

जनवादी महिला समिति, संप्रग सरकार द्वारा पारित कराए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक का स्वागत करती है। यह ग्रामीण इलाकों में, रोजगार के अभाव में भारी संकट में घिरे हुए जरूरतमंद परिवारों के, अस्तित्व रक्षा के अधिकारों की हिफाजत करने के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़े जाने का सबूत देता है। वास्तव में सरकार ने इस विधेयक के पारित होने से पहले, अपने मूल विधेयक में वामपंथी पार्टियों द्वारा सुझाए गए कई महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार कर लिया। वामपंथ और ग्रामीण रोजगार गारंटी की मांग के गिर्द जनवादी महिला समिति समेत जनांदोलनों द्वारा अभियान छेड़े जाने के संयुक्त प्रभाव ने यह सुनिश्चित किया कि पहले सरकार की ओर से तैयार कराए गए प्रारूप की अनेक कमजोरियों को दूर कर दिया गया, जिनमें इस गारंटी का लाभ सिर्फ गरीबी की रेखा के नीचे घोषित किए जाने वाले परिवारों तक सीमित करने जैसी कमजोरी भी शामिल थी।

इसी तरह के जो अन्य संशोधन आखिरकार स्वीकार कर लिए गए उनमें फ्लोर स्तर पर 60 रु0 की न्यूनतम दिहाड़ी और इस गारंटी का लाभ पाने वालों में एक-तिहाई संख्या महिलाओं की होना सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दिया जाना शामिल है। देश के 200 जिलों से शुरू कर, जिनमें काम के लिए अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिले भी शामिल हैं, अगले पांच वर्षों में देश के शेष 400 जिलों तक फैलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कामों की सूची को और लचीला बनाया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श की व्यवस्था जोड़कर, इसमें महिलाओं के लिए अनुकूल पड़ने वाले और ज्यादा कामों के जोड़े जाने की गुंजाइश बनायी गयी है। इसमें पंचायतों की बढ़ी हुई भूमिका को भी शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि अगर उसकी ओर से समय पर फंड मुहैया कराने में कोताही होती है, तो इससे बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के रूप में राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा, उसका वहन अंततः केंद्र सरकार खुद करेगी। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार, समय पर आवश्यक फंड मुहैया कराए, क्योंकि इसके बिना पूरा का पूरा कार्यक्रम ही बैठ जाएगा।

अब इसके लिए सतत संघर्ष की जरूरत होगी कि संबंधित कानून के जनहितकारी प्रावाधानों को पूरी तरह से लागू किया जाए। जनवादी महिला समिति का अनुभव बताता है कि इस तरह की योजनाओं को लागू करने में जमीनी स्तर पर, महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता में सबसे आखिर में रखा जाता है। बहरहाल, चूंकि संबंधित कानून में अब इसकी कानूनी व्यवस्था रखी गयी है कि इसके लाभ में महिलाओं को शामिल किया जाए, जिला स्तर पर महिला समिति की इकाइयों को हस्तक्षेप

कर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें लागू किया जाए।

घरेलू हिंसा पर रोक का कानून

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, घरेलू हिंसा से सुरक्षा विधेयक-2005 के संसद द्वारा पारित किए जाने का स्वागत करती है। यह कानून, घर की चाहरदीवारी के अंदर होने वाली हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने व राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का सूचक है। यह विधेयक जनवादी महिला समिति तथा महिला आंदोलन द्वारा लंबे समय से उठायी जाती रही इस मांग को पूरा करने का प्रयास करता है कि घरेलू हिंसा की, इस व्यापक रूप से फैली हुई किंतु मुश्किल से ही पहचानी जाने वाली परिघटना के खिलाफ, कोई दीवानी सुरक्षा प्रावधान होना चाहिए। जनवादी महिला समिति यह आशा करती है कि इस कानून के तेजी से स्वीकृत होने तथा समुचित पालन से, घरेलू हिंसा के बढ़ते ग्राफ को रोकने में मदद मिलेगी।

इस विधेयक के अंतर्गत महिला को जो एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, वह है रिहाइश का अधिकार, वैवाहिक आवास से बेदखल न किए जाने का अधिकार। अब पत्नी को यह अधिकार भी होगा कि घरेलू हिंसा के कृत्यों से रक्षा करने वाले आदेशों की मांग कर सके। दूसरे पक्ष को संबंधित घर, कार्यस्थल आदि में प्रवेश करने से रोका जा सकता है या महिला से संपर्क रखने के जरिए उसे परेशान करने से भी रोका जा सकता है। आर्थिक मदद का प्रावधान, बच्चों की अस्थायी सुपुर्दगी तथा नुकसान होने या चोट पहुंचने की सूरत में मुआवजा आदि, उस राहत में आते हैं जो अब पीड़िता को दी जा सकती है।

यह कानून पितृसत्तात्मक व्यवस्था के उस घोर अन्याय को दूर करने की कोशिश करती है, जिसमें अक्सर महिला को बिना किसी आश्रय के वैवाहिक आवास से निकाल दिया जाता है या उन्हें अपने पैतृक घर पर जाकर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह जरूरी है कि अदालतें इस महत्वपूर्ण अधिकार को लागू करें।

सरकार द्वारा पारित कराने के लिए अंततः पेश किए गए विधेयक में, पिछली राजग सरकार द्वारा सूत्रबद्ध किए गए विधेयक की अनेक बुनियादी कमियों को दूर कर दिया गया है। इस सिलसिले में किया गया एक खास बदलाव तो यही था कि पिछले विधेयक में घरेलू हिंसा को परिभाषित ही ''आदतन हमले'' के रूप में किया गया था, जबकि अब उक्त परिभाषा को छोड़ दिया गया है। उसकी जगह अब घरेलू हिंसा की इस परिभाषा में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन तथा आर्थिक हिंसा, दहेज प्रतारणा के विभिन्न रूपों और हिंसा की धमकी को भी शामिल किया गया है। मौजूदा विधेयक, महिलाओं के लिए अब कहीं विस्तृत संरक्षण सुनिश्चित करता है।

इस कानूनी सरंक्षण की पात्रता की परिभाषा का विस्तार कर पत्नी के अलावा इसमें ऐसी किसी महिला को भी संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, जिसका आरोपी के साथ घरेलू रिश्ता हो। इस तरह, इस कानून के संरक्षण के लिए पीड़ित प्रार्थी के दायरे में माता, बहन या साझीदार को भी शामिल कर लिया गया है।

इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि इस कानून के तहत पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जबकि पत्नी को आरोपी पति की महिला रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, बशर्ते वे भी उसके खिलाफ हिंसा करने में शामिल हों।

बहरहाल, इस विधेयक के सकारात्मक पहलुओं का स्वागत करने के साथ ही जनवादी महिला समिति, उन खामियों की ओर भी इशारा करना चाहेगी, जो जमीनी स्तर पर इस कानून के प्रभावी पालन में बाधक हो सकती हैं।

इस विधेयक के अंतर्गत ''संरक्षण अधिकारियों'' की अनिवार्य नियुक्ति का जो आदेश दिया गया है, उल्टा पड़ सकता है। जनवादी महिला समिति का दीर्घ अनुभव यही कहता है कि इस तरह के बिचौलियों की नियुक्ति नौकरशाहीपूर्ण विलंब का ही कारण बनती है और इससे भ्रष्टाचार की तथा स्त्रीविरोधी सलाह-मशविरों की ही संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए, अच्छा यही होता कि इस प्रावधान को अनिवार्य न किया जाता और इस मामले में निर्णय संबंधित मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया जाता।

इसी प्रकार, विधेयक में ''सेवा मुहैया कराने वाले'' से संबंधित प्रावधान में तरह-तरह की शर्तें लगायी गयी हैं कि ये रजिस्टरशुदा संगठन हों, लेकिन इनमें वास्तव में पीड़ितों को मदद देने वाले प्रतिबद्ध सामाजिक संगठनों, समुदायों या व्यक्तियों को बाहर रखना होगा। यह ऐसा प्रावधान है जिसका पुलिस द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित हो गया है। जनवादी महिला समिति समाज के सभी तबकों का आह्वान करती है कि आगे बढ़कर इस विधेयक को समर्थन दें और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि इसका प्रभावी व चौतरफा परिपालन सुनिश्चित करें।

□

ए.आइ.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. का पांचवां अखिल भारतीय अधिवेशन

8-11 नवम्बर, बंगलौर

ए.आइ.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. का पांचवां अखिल भारतीय अधिवेशन, 8 से 11 नवंबर 2005 को बंगलौर में होगा। 22 राज्यों से लगभग 2,29,050 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 501 डेलीगेट अधिवेशन में भाग लेंगे। 20 प्रतिशत डेलीगेट आंगनवाड़ी सहायिकाएं होंगी।

अधिवेशन सुशीला गोपालन नगर (म्युनिसिपल टाउन हाल), बंगलौर में होगा। चित्तब्रत मजूमदार, जनरल सैक्रेट्री सी.आई.टी.यू. 8 नवम्बर को अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन एक सामूहिक रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें पूरे कर्नाटक से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भाग लेने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के नजदीक के जिलों से भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रैली में भाग लेंगी। विभिन्न राज्यों में संघर्षों की तस्वीर के साथ एक कलेंडर और फेडरेशन द्वारा तैयार की गयी एक डायरी को सार्वजनिक सभा में जारी की जाएगी।

दूसरे दिन ''आइ.सी.डी.एस. के नियमितीकरण'' पर एक सेमिनार आयोजित की जाएगी जिसका उद्घाटन भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगोड़ा द्वारा किया जाएगा। सी.पी.आई.(एम) जनरल सैक्रेट्री प्रकाश करात, प्रमुख अर्थशास्त्री जयति घोष और सामाजिक न्याय व शक्तिकरण मंत्री प्रो. सुब्बूलक्ष्मी जगदीशन सेमिनार में भाग लेंगे।

अधिवेशन में जनरल सैक्रेट्री की रिपोर्ट के अलावा 4 कमीशन पेपर्स : **संगठन का विस्तार, आइ.सी.डी.एस. का नियमितीकरण, जनता के साथ में सम्बन्धों को मजबूत करना तथा मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक आंदोलन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका,** पर चर्चा की जाएगी।

10 नवंबर को विभिन्न राज्यों से आंगनवाड़ी यूनियनों के संघर्ष पर एक पुस्तिका का विमोचन तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के प्रसिद्ध नेता मल्लू स्वराज्यम् द्वारा किया जाएगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, खेत मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय किसान सभा के विरादराना डेलीगेट अधिवेशन का स्वागत करेंगे।

सितम्बर 2002 में पुरी, उड़ीसा में पिछली अधिवेशन के समय से ए.आइ.एफ.ए.डब्यू.एच. की सदस्यता 1,60,051 से बढ़कर 2,29,050 हो गयी है। इसने अपने आधार और गतिविधियों का विस्तार कई दूसरे जिलों और राज्यों में किया है। फेडरेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रमुख संघर्षशील ट्रेड यूनियन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आयी है। पांचवां अधिवेशन गतिविधियों, उपलब्धियों और कमियों की समीक्षा करेगा और संगठन को मजबूत करने और इसका दूसरे हिस्सों तक विस्तार करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करेगा।

के हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली -2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित